

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या – 830  
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों की रेटिंग

830. प्रो. एम. वी. राजीव गौड़ा :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें कि कंपनियों द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) पहलों के कार्यान्वयन में लगाया जा सकता है, की रेटिंग करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की रेटिंग करने के मापदंड क्या हैं; और
- (घ) क्या पारदर्शिता के तत्व को लाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के चयन और उनकी रेटिंग के मापदंडों को दर्शाने की कोई योजना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*